"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 513]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2015— कार्तिक 6, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

अधिसूचना

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2015/653. — छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 43 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. एडी 0-26, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

नियम 59 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान के बारे में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को करने देगा तथा बांये हाथ की तर्जनी (अंगूठे के बाद वाली अंगुली) के नाखून के अग्रभाग से प्रथम संधि तल तक अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाने देगा कि स्याही नाखून की अग्रभाग पर प्रथम संधि तल तक फैल सके."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2015/654. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2015/653, दिनांक 26-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 26th October 2015

NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2015/653. — The following draft of amendment in the Chhattisgarh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Joint Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. AD 0-26, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said Rules,-

For Sub-rule (1) of Rule 59, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Every voter, about whose identity, the presiding officer or the polling officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the Presiding Officer or the Polling Officer and an indelible ink mark to be put on the nail of index finger of the left hand (finger next to thumb) form ridge to first meeting surface of the nail, so that the ink also spreads on the ridge to first meeting surface of the nail."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. NAIK, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.